नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 100/2021
Dt- 07-03-2021

आदरणीय मंत्री महोदय,

विषयः– **भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा में निजी मोबाईल सेवा दाताओं द्वारा कस्टमर केयर सर्विस फोन कॉल के साथ जरूरी सूचना शुरू कराने के संबंध में।**

मैथिली भाषा के बढ़ते जनाधार एवं लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया है, इसके लिए मिथिलावासी सदा आभारी हैं। मैथिली भाषा की महत्ता को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने अपने कस्टमर केयर सर्विस फोन कॉल के साथ जरूरी सूचना मैथिली भाषी क्षेत्र में दे रही है, यह आपके प्रयास का ही फल है तथा इसके लिए बी.एस.एन.एल. बधाई का पात्र है।

दूर संचार सेवा में निजी मोबाईल सेवा दाताओं के उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है यथा एयरटेल, जियो, वोडाफोन आदि। इन कम्पनियों ने अभी तक मैथिली भाषा को अपने कस्टमर केयर सर्विस फोन कॉल के साथ जरूरी सूचना देने में तरजीह नहीं दी है। उनके द्वारा भोजपुरी भाषा का उपयोग किया जा रहा है जो सराहनीय है।

करोड़ों लोगों की लोकप्रिय भाषा मैथिली जो संविधान के अष्टम अनुसूची में भी शामिल है, को समुचिम स्थान देने की आवश्यकता है। मोबाईल सेवादाताओं को इस संबंध में मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है ताकि मैथिली भाषा का व्यावहारिक उपयोग कर सकें।

अतः अनुरोध है कि निजी क्षेत्र की मोबाईल सेवा दाताओं को मैथिली भाषा में भी कस्टमर केयर सर्विस फोन कॉल साथ जरूरी सूचना देने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन करना चाहेंगे।

सादर,

भवदीय

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 7.3.21

सेवा में,
श्री रविशंकर प्रसाद जी,
माननीय मंत्री,
कानून एवं न्याय, संचार,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय,
भारत सरकार।

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in